

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :- एफ 7(2) (2) राछा./सान्याअवि/19/ 53836


जयपुर,दिनांक: 11/9/2019

आदेश

विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रवेश के लिये ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यालय स्तरीय छात्रावासों तथा महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की अन्तिम तिथि 25 अगस्त, 2019 रखी गई थी।


राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान प्रवेश में कमी को देखते हुये राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 25 अगस्त, 2019 को बढ़ाकर 20 सितम्बर, 2019 किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों हेतु अष्टम् प्रवेश सूची दिनांक 21.09.2019 तथा महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों के लिये सप्तम् सूची दिनांक 21.09.2019 को जारी की जावे।


(सांवर मल वम्बी) 4
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
जयपुर, दिनांक: 11/9/19

क्रमांक :- एफ 7(2) (2) राछा./सान्याअवि/19/ 53837-49
प्रतिलिपि :-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3.निजी सचिव, निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4.जिला कलक्टर (समस्त).....।
- 5.निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास),मुख्यावास।
- 6.अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), मुख्यावास।
- 7.उप निदेशक (राईस), मुख्यावास।
- 8.सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर निवेदन है कि वे उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट एवं प्रवेश पोर्टल पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
- 9.उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
- 10.प्रधानचार्य, आवासीय विद्यालय (समस्त).....।
- 11.सहायक निदेशक (प्रचार),मुख्यावास।
- 11.सहायक निदेशक (छात्रावास),मुख्यावास।
- 12.आदेश पत्रावली।


(दिनेश कुमार जागिड़)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)